न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
76 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	12.08.2022	02.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स संजय प्रोविजन स्टोर, जहाजपुर चुंगी नाका देवली जिला टोंक राज. निवासी बापू कॉलोनी जगदीश धाम के पास देवली जिला टोंक राज.

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक श्री सरवर अली।

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 02.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.02.2022 को समय 02:39 पी.एम पर मैसर्स संजय प्रोविजन स्टोर, जहाजपुर चुंगी नाका देवली जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहॉ पर श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री संजय कुमार अग्रवाल ने स्वंय को मैसर्स संजय प्रोविजन स्टोर, जहाजपुर चुंगी नाका देवली जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **ड्राई फ्रूट्स बादाम खुला (Dry Fruits Almonds Loose)** प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 20 किलोग्राम रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री संजय कुमार अग्रवाल को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री संजय कुमार अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **ड्राई फ्रूट्स बादाम खुला (Dry Fruits Almonds Loose)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1 किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम **ड्राई फ्रूट्स बादाम खुला (Dry Fruits Almonds Loose)** को बराबर–बराबर एक भाग 250 ग्राम को प्लास्टिक की साफ व सूखी चार पॉलीथीन में भरकर पॉलीथीन को कागज के गत्ते के डिब्बे में भरकर नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई--3096 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री संजय कुमार अग्रवाल तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3096 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/814 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/959/एक्ट/2022/1001 दिनांक 21.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक **स्तर की** जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **ड्राई फ्रूट्स बादाम खुला (Dry Fruits Almonds Loose) एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zx)** का उल्लघंन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard) स्तर** का होना पाया गया जिसकी जॉच रिर्पोट अप्रार्थी को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से **भिजवायी गयी।**

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द जैन **विकेता मैसर्स** संजय प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका देवली जिला टोंक ने समयावधि में **नमूना पुनः** जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया, जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु **निदेशक रैफरल** फूड लैब मैसूर भिजवाया गया। निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच **रिपोर्ट कमांक** एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए./488एफ/2022 दिनांक 30.06.2022 के **अनुसार उक्त नमूना** एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zx) का उल्लघंन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard) स्तर** का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं जिसकी सूचना **अप्रार्थी को भिजवायी** गयी। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु **प्रकरण न्यायालय में** प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 24.11.2022 को श्री सरवर अली एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब व बहस हेतु अवसर चाहा। आज अप्रार्थी श्री संजय कुमार अग्रवाल स्वयं उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **ड्राई फ्रूट्स बादाम खुला (Dry Fruits Almonds Loose)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ड्राई फ्रूट्स बादाम खुला (Dry Fruits Almonds Loose)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0